

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शिवासिंह बनाम बतनासिंह (गैर)

किरम मुकदमा नं. 111-120 नं. 43 सन 2021

दिनांक	हुकम या कार्रवाई का गय इनिशियलस जज	नाम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख से जारी हुए
--------	------------------------------------	--

15-3-21

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जाते। पत्रावली दिनांक 16-4-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

16-4-21

उभय पक्ष उपस्थित पीठारसीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। पत्रावली दिनांक 16-4-21 को पेश हो।

रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल

30-4-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/परिहार रखने से पत्रावली दिनांक 28-5-21 को पेश हो।

18/5/21

उभय पक्ष उपस्थित पीठारसीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29/6/21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/परिहार रखने से पत्रावली दिनांक 30-7-21 को पेश हो।

18-12-21

पत्रावली प्रशासन गौनों के (एग) हफिपान 2021 केम ग्राम पंचायत जिन्डाल में पेश हुई, शिवासिंह के सामने कार्यवाही हो कर (आफ इट) तटकील्यार भोडल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जियेवा-प क्रियागण जारी काजा-पत्रावली किया जाकर किरम सपड ले लिखा जा कर आ-प पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

डॉ. पूजा मुखर्जी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गौनों के ग्राम जाभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 43/21

1- श्री देवीसिंह सो. चन्द्रगुप्त दसोगा निवासी केरिया तहसील --प्राथी

बनाम

1- श्री रतनसिंह सो. श्री देवीसिंह शकण राजपूत निवासी केरिया तहसील --विपक्षीगण (फैरी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 13-10-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... देवीपुरपटवार हल्का..... केरिया तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं..... 687, 688, 689कुल किता 03रकबा..... 0.3668हेक्टेयर..... स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्राथी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 5.3.21को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... देवीपुरपटवार हल्का..... केरिया तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... 687/1, 688/1, 689/1कुल किता 03रकबा..... 0.3668हेक्टेयर..... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... आत्मगाराको 550/-रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावें ।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021